संख्या-58/2019/897/26-3-2019

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 7 फरवरी 2019

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय विशुनपुर विश्राम जनपद-बलरामपुर नौतनवां जनपद-महराजगंज एवं छाउछ लखीमपुरखीरी के भवनों की मरम्मत हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-07/2019/4567/26-3-2018, दिनांक-03.01.2019 एवं शासनादेश संख्या-06/2019/4566/26-3-2018, दिनांक-03.01.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, विशुनपुर विश्राम, जनपद-बलरामपुर हेतु रू0-107.75 लाख, नौतनवां जनपद-महराजगंज हेतु रू0-107.67 लाख एवं छाउछ, लखीमपुरखीरी के भवनों की मरम्मत हेतु रू0-57.935 लाख अर्थात कुल **धनराशि रू0-273.355 लाख (रू0-दो करोड़ तिहत्तर लाख पैतीस हजार पांच सौ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय अपरिहार्य कारणों से उक्त शासनादेश संख्या-07/2019/4567/26-3-2018, दिनांक-03.01.2019 एवं शासनादेश संख्या-06/2019/4566/26-3-2018, दिनांक-03.01.2019 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

पृ.संख्या-58/2019/897/26-3-2019 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलरामपुर, महराजगंज एवं लखीमपुरखीरी।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।